

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 फरवरी, 2020 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरन्त आधा घण्टा पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना

अध्यक्ष महोदय सदन को प्रतिवेदित करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने 20 फरवरी, 2020 को 11.00 बजे प्रातः हरियाणा विधान सभा के सम्मुख अभिभाषण देने की कृपा की थी तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति मेज़ पर रखेंगे।

II. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीय

1. चौधरी खुर्शीद अहमद, भूतपूर्व मंत्री हरियाणा;
2. चौधरी उदय सिंह दलाल, भूतपूर्व सदस्य, हरियाणा विधान सभा;
3. हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी;
4. हरियाणा के शहीद;
5. अन्य।

III. कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट

- (i) अध्यक्ष विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
- (ii) समिति के एक सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

IV. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले कागज-पत्र

1. एक मंत्री भारत के संविधान की धारा 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 48/कांस्ट./आर्ट. 320/2019 दिनांकित 6 नवम्बर, 2019 मेज़ पर रखेंगे।
2. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, आवकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 जनवरी, 2020 मेज़ पर रखेंगे।
3. एक मंत्री नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016-2017 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल की लेखा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे मेज़ पर रखेंगे।
4. एक मंत्री नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017-2018 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल की लेखा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे मेज़ पर रखेंगे।
5. एक मंत्री सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (1.1.2018 से 31.12.2018) के लागू होने पर राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की 13वीं रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON THURSDAY, THE 20TH FEBRUARY, 2020 IMMEDIATELY HALF AN HOUR AFTER CONCLUSION OF THE GOVERNOR'S ADDRESS.

I. LAYING OF A COPY OF THE GOVERNOR'S ADDRESS.

The Speaker to report to the House that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly on the 20th February, 2020 at 11.00 A.M. and to lay on the Table a copy of the Governor's Address.

II. OBITUARY REFERENCES.

A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

1. Chaudhary Khurshid Ahmed, former Minister of Haryana.
2. Chaudhary Ude Singh Dalal, former Member of Haryana Legislative Assembly.
3. Freedom Fighter of Haryana.
4. Martyrs of Haryana.
5. Others.

III. SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

- (i) THE SPEAKER to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.
- (ii) A MEMBER OF THE COMMITTEE to move that this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

IV. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1.	A MINISTER	to lay on the Table the Personnel Department Notification No. G.S.R. 48/Const./Art.320/2019, dated the 6 th November, 2019, as required under section 320(5) of the Constitution of India.
2.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 08/GST-2, dated the 24 th January, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
3.	A MINISTER	to lay on the Table the Audit Report and Annual Accounts of the Haryana State Agricultural Marketing Board for the year 2016-17, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
4.	A MINISTER	to lay on the Table the Audit Report and Annual Accounts of the Haryana State Agricultural Marketing Board for the year 2017-18, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
5.	A MINISTER	to lay on the Table the Thirteenth Report on implementation of the RTI Act, 2005 (1.1.2018 to 31.12.2018) of State Information Commission Haryana, as required under section 25 (4) of the Right to Information Act, 2005

CHANDIGARH:
THE 19TH FEBRUARY, 2020.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.